



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042025-262411  
CG-DL-E-11042025-262411

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1668]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2025/चैत्र 21, 1947

No. 1668]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2025/CHAITRA 21, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2025

का.आ. 1699(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि लौह अयस्क खनन में लगी हुई सेवाएं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 16 के अधीन आते हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं हैं;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4486(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2024 द्वारा तारीख 14 अक्टूबर, 2024 से छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा के रूप में प्रास्थिति का छह मास की और अवधि के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लौह अयस्क खनन में लगी हुई उद्योग की सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 14 अप्रैल, 2025 से छह मास की और अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस. 11017/06/2024-आईआर (पीएल)]

डॉ अत्या नंद, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2025

**S.O. 1699(E).**— WHEREAS the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the Iron Ore Mining, which are covered under item 16 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 14th October, 2024, vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 4486(E), dated the 14th October, 2024;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industry engaged in the Iron Ore Mining to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 14th April, 2025.

[F. No. S-11017/06/2024-IR(PL)]

Dr. ATYA NAND, Jt. Secy.